

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

//आदेश//

क्रमांक 100/दो-11-5/2008(PART-III)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 23.02.2024

इस न्यायिक जिला स्थापना अंतर्गत कोर्ट मैनेजर के अमले स्टेनोग्राफर (हिन्दी) संविदा के लिए जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 81 दिनांक 03.02.2024 के अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने के फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची से उसी श्रेणी के उम्मीदवार को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पूर्णतः अस्थायी रूप से एक वर्ष की अवधि के लिये या उससे पहले या आगे जैसी भी स्थिति उत्पन्न होती हो नियुक्त किया जाता है :-

क्र0	चयनित उम्मीदवार का नाम एवं पता	श्रेणी	नवनियुक्त पदनाम	चयन श्रेणी	वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रितेश कुमार वर्मा पिता श्री जगन्नाथ वर्मा, ग्राम+पोस्ट-टोनाटार तहसील-भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा छ0ग0 पिन-493331	अन्य पिछड़ा वर्ग	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	सामान्य	20,900/- प्रतिमाह एक मुश्त

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

शर्तें :-

1. अस्थायी सेवा काल में वे यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो एक माह की पूर्व सूचना कार्यालय को देनी होगी या यदि तुरन्त कार्य मुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा । इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जायेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तुरन्त सेवा से पृथक कर दिया जायेगा ।
2. चयनित उम्मीदवारों को आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा । यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता है तो नियुक्ति आदेश संबंधित के संबंध में स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
3. कार्यभार ग्रहण करने के दिन ही वे समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण पत्रों सहित अवश्य प्रस्तुत करें । यदि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त की जा सकेगी ।
4. चयनित उम्मीदवार मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निष्पादित स्वस्थता का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे जिसका व्यय संबंधित को स्वयं वहन करना होगा ।
5. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक अथवा मानसिक स्वस्थता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की स्थिति में यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जा सकेगा ।
6. उन्हें अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा । पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में संबंधित के संबंध में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
7. सेवाकाल में किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे तथा बिना पूर्व अनुमति अध्ययन जारी नहीं रखेंगे ।

23/02/2024

(भीष्म प्रसाद पाण्डेय)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

पृ0क्रमाँक 435 /दो-11-5/2008(PART-III)
प्रतिलिपि :-

बैकुण्ठपुर, दिनाँक 23.02.2024

1. श्री रितेश कुमार वर्मा पिता श्री जगन्नाथ वर्मा, ग्राम+पोस्ट-टोनाटार तहसील-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा छ0ग0 पिन-493331 ।
2. लेखापाल/देयक लिपिक कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरिया, बैकुण्ठपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।

B. S. S.
23/02/2024
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोरिया, बैकुण्ठपुर (छ0ग0)

